राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

राजस्व लोक अदालतों में 948 प्रकरणों का हुआ समाधान

झालावाड़ 3 जुलाई/ राजस्व लोक अदालत अभियान '' न्याय आपके द्वार '' कार्यक्रम के दौरान गुरूवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में मौके पर ही किसानों के राजस्व संबंधी 948 मामलों का निस्तारण किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर खजान सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों द्वारा 2 जुलाई को ग्राम पंचायत झिकाड़िया, आंवलखेड़ा, क्यासरा एवं बिशनखेड़ी में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में नामान्तकरण के 304 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार खाता दुरस्ती के 127, खाता विभाजन के 68, खातेदारी धोषणा धारा 88 के 5, स्थायी निषेधाज्ञा के 6, राजस्व नकल के 214, इजराय के 3 प्रकरणों सहित टी.आई (स्थगन), गैर खातेदारी से खातेदारी, धारा 86,183 (ए) आर.टी. एक्ट इत्यादि सहित अन्य 221 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।

————

जिला कलक्टर का निरीक्षण, रात्रि चौपाल कार्यक्रम

झालावाड़ 3 जुलाई/ जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक द्वारा माह जुलाई में भ्रमण कार्यक्रम के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में निरीक्षण व रात्रि चौपाल कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं की सुनवाई करेंगे।

कार्यक्रम के अनुसार जिला कलक्टर 7 जुलाई को पंचायत समिति मनोहरथाना की ग्राम पंचायत कामखेड़ा में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 10 को पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत गोरधनपुरा में निरीक्षण एवं जनसुनवाई, 14 को पंचायत समिति भवानीमण्डी की ग्राम पंचायत मोगरा में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 17 को पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत बोरदा में निरीक्षण एवं जनसुनवाई, 21 को पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत कवल्दा में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 24 को पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत रनायरा में निरीक्षण एवं जनसुनवाई, 28 को पंचायत समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत तुरकाड़िया में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 31 को पंचायत समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत भालता में निरीक्षण एवं जनसुनवाई करेंगे।

————

मजीठिया वेज के अवार्ड की सिफारिशों की पालना पर होगी सुनवाई

झालावाड़ 3 जुलाई/श्रम आयुक्त राजस्थान द्वारा श्रमजीवी पत्राकार एवं अन्य समाचार पत्रा कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 तथा केन्द्र सरकार द्वारा गठित मजीठिया वेज बोर्ड अवार्ड की सिफारिशों को लागू करवाने के संबंध में 1 से 31 जुलाई तक श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय कमरा नं. 109—111 मिनी सचिवालय झालावाड़ में श्रम नीरिक्षक द्वारा श्रमजीवी पत्राकारों एवं अन्य समाचार पत्रा कर्मचारी की मजीठिया वेज के अवार्ड की सिफारिशों की पालना पर प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 11 से 12 बजे तक सुनवाई की जायेगीं।

श्रम कल्याण अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि संबंधित पक्षकार उक्त समय पर श्रम निरिक्षक के समक्ष उपस्थित होकर सुनवाई के दौरान अपना प्रतिवेदन लिखित में प्रस्तुत कर सकेगें।

————